राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1996/2013/उदयपुर.

मैसर्स गिरीराज कॉर्पोरेशन C/o सेक्योर मीटर्स लिमिटेड, ई–क्लास, प्रतापनगर, उदयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

1. अतिरिक्त आयुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, उदयपुर.
2. वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, उदयपुर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित ::

श्री आर. के. अजमेरा, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री आर.के.खदाव, उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 20/06/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, उदयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 106/वेट/12–13/उदयपुर में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 82 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 01.08.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, उदयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) के आदेश दिनांक 12.07.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा राजस्थान की फर्म मैसर्स सिक्योर मीटर्स लिमिटेड, उदयपुर से कार्य संविदा प्राप्त की गयी थी एवं प्राप्त कार्य संविदा के लिये राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.12(15)एफडी/टैक्स/12–114 दिनांक 26.03.2012 के तहत कर की एवज में मुक्ति शुल्क प्रमाण–पत्र का आवेदन किया गया। प्रस्तुत किये गये आवेदन में अवार्डर उदयपुर की फर्म बताई गई एवं कार्यस्थल भी उदयपुर का बताया गया, परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आवेदन को इस आधार पर अस्वीकार किया गया है कि अवार्डर द्वारा दिये गये आदेश में अपीलार्थी फर्म गिरीराज कॉर्पोरेशन का पता मेमनगर अहमदाबाद बताया गया है एवं कार्यादेश अहमदाबाद के नाम जारी किया गया है। आवेदन को निरस्त करने का निम्न आधार दिया गया है :– "चूंकि अवार्डर द्वारा ठेका कार्य अहमदाबाद के ठेकेदार को दिया गया है एवं EC हेतु आवेदन राजस्थान में पंजीकृत व्यवसायी द्वारा किया गया है ऐसी स्थिति में कर मुक्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाना राज्य हित में उचित प्रतीत नहीं होता है।"

लगातार.....2

3. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश में जिन तथ्यों के आधार पर उनके मुक्ति प्रमाण—पत्र आवेदन को निरस्त किया गया है वह पूर्णतया मिथ्या हैं क्योंकि अपीलार्थी फर्म राजस्थान राज्य में पंजीकृत फर्म है जिसकी पंजीयन प्रमाण—पत्र संख्या स्वयं इस विवादित आदेश में भी अंकित की हुई है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह अवधारित करना कि अवार्डर द्वारा उसमें अपीलार्थी का पता अहमदाबाद लिखा हुआ है, गलत है, क्योंकि उक्त अपीलार्थी फर्म का रजिस्टर्ड ऑफिस अहमदाबाद में है एवं अन्य किसी भी राज्य में कार्यालय होने से भी कोई अन्तर नहीं होता है यदि किसी फर्म ने राजस्थान राज्य में पंजीयन प्राप्त किया हुआ है। कथन किया कि अपीलार्थी फर्म स्थानीय अधिनियम में पंजीकृत फर्म है न कि कोई Non-Resident फर्म के रूप में अवस्थित है। यह कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिना कोई सुनवाई किये ही "राज्य हित" में आदेश पारित करना बताया गया है जो नैसर्गिक न्याय के विरूद्ध है अतः मुक्ति शुल्क प्रमाण—पत्र के आवेदन को निरस्त किये जाने के आदेश को अपास्त कर मुक्ति शुल्क प्रमाण—पत्र जारी करने के निर्देश दिये जाने जाने का अनुरोध किया।

4. विद्वान अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण के गुणावगुण की जांच किये बिना, यह लिखते हुए कि गिरीराज कॉर्पोरेशन अहमदाबाद अंकित है, अतः कर निर्धारण अधिकारी का आदेश सही है वहव भी गलत निर्णय है क्योंकि अपील सुनवाई के दौरान पूर्ण तथ्यों से अवगत करा दिया गया था। यह भी कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी को दिनांक 12.07.2012 को नोटिस का पूर्ण जवाब मय कार्यादेश के प्रस्तुत कर दिया गया था, परन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने अकारण यह आवेदन खारिज किया है क्योंकि दिनांक 12.07.2012 को जो जवाब प्रस्तुत किया गया था वह कर निर्धारण अधिकारी के द्वारा जारी किये गये नोटिस दिनांक 04.06.2012 के सन्दर्भ में था जिसमें यह पूछा गया था कि आप द्वारा Purchase order दिनांक 23.5.2012 प्रस्तुत किया गया है जो कार्य संविदा के अन्तर्गत नहीं आता है, अतः क्यों न WT-1 अस्वीकृत किया जावे, परन्तु जो आदेश पारित किया गया है, उसमें कार्यादेश को कार्य संविदा मानते हुए पारित किया गया है, परन्तु इसका पता अहमदाबाद बताते हुए आवेदन खारिज किया गया है, जो यह दर्शाता है कि कर निर्धारण अधिकारी उनके आवेदन—पत्र को खारिज करने के लिये कृत संकल्प थे।

लगातार.....3

5. राजस्व की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन किया तथा अपीलार्थी व्यवहारी की अपील खारिज करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध मुक्ति प्रमाण—पत्र आवेदन WT-1 एवं मैसर्स सिक्योर मीटर्स लिमिटेड का Purchase order का अवलोकन किया गया एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेश का भी अवलोकन किया गया।

7. कर निर्धारण अधिकारी के आदेश से सर्वप्रथम यह प्रमाणित है कि उनके द्वारा दिनांक 04.06.2012 को जो नोटिस स्पष्टीकरण देने हेतु जारी किया गया था उसमें यह विवाद किया गया था कि अपीलार्थी को प्राप्त आदेश सप्लाई ऑर्डर है एवं यह कार्य संविदा के अन्तर्गत नहीं आता है, अतः स्पष्टीकरण चाहा गया कि क्यों न WT-1 अस्वीकृत किया जावे, जिसका जवाब अपीलार्थी द्वारा दिया गया कि वह कार्य संविदा का ही आदेश है एवं कर निर्धारण अधिकारी ने इस नोटिस के जवाब को स्वीकार कर यह निर्णय किया है कि यह कार्य, कार्य संविदा ही है परन्त कार्य संविदा का आदेश अपीलार्थी की अहमदाबाद की फर्म के नाम से जारी होने से "राज्य हित" में EC दिया जाना उचित नहीं है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इस तरह का निर्णय लिया जाना अविधिक एवं अनपेक्षित है क्योंकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जो नोटिस जारी किया गया था उसके जवाब के बाद अन्य कोई नोटिस नहीं दिया गया बल्कि नोटिस के स्पष्टीकरण पर आवेदक का कार्य, कार्य संविदा मान लिया गया। जबकि आवेदन इस आधार पर अस्वीकार किया गया है कि यह कार्य आदेश गुजरात के नाम से जारी होने से EC जारी नहीं की जा सकती। जबकि कर निर्धारण आदेश में कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी गिरीराज कॉर्पोरेशन प्रतापनगर उदयपुर, एवं राज्य की पंजीयन संख्या अंकित की हुई है जो यह प्रमाणित करती है कि अपीलार्थी व्यवहारी उदयपुर में पंजीकृत फर्म है तथा उदयपुर की पंजीकृत फर्म द्वारा ही यह WT-1 प्रस्तुत किया गया था। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को दिया गया कार्य आदेश गुजरात का मानते हुए अस्वीकार किया जाना तथ्यों के विपरीत है। यह भी टिप्पणी करना उचित होगा कि राज्य के भीतर पंजीकृत व्यवसायी द्वारा राज्य के भीतर के अवार्डर के लिये राज्य के भीतर कार्य संविदा पूर्ण करने हेतु मुक्ति शुल्क प्रमाण—पत्र प्राप्त किया जा सकता है एवं इस प्रकरण में कर निर्धारण आदेश से ही स्पष्ट है कि ठेकेदार व्यवसायी राज्य में पंजीकृत है एवं राज्य के अवार्डर के लिये ही राज्य के भीतर

लगातार.....4

कार्य किया जाना है ऐसी स्थिति में उन्हें प्रमाण—पत्र से वंचित किया जाना अविधिक है। अपीलार्थी का प्रधान कार्यालय या रजिस्टर्ड ऑफिस अन्य राज्य में होने से राज्य के भीतर की पंजीकृत विधिक स्थिति प्रभावित नहीं होती है।

8. उक्त तथ्यों के अधीन यह निर्णय किया जाता है कि अपीलार्थी व्यवहारी मुक्ति प्रमाण—पत्र का पात्र है अतः मुक्ति प्रमाण—पत्र जारी करने के निर्देश दिये जाते हैं। उक्तानुसार अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर निर्धारण आदेश दिनांक 12.07.2012 व अपीलीय आदेश दिनांक 01.08.2013 अपास्त किये जाते हैं।

9. निर्णय सुनाया गया।

(के. एल. जैन)
सदस्य